रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 1972/वैशाख 22, 1894

No. 245] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 1972/VAISAKHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May 1972

S.O. 254(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 14th day of May, 1972 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala, namely:—

1. The area within the revenue village of Edappally North, Edappally South, Poonithura, and Thiruvankulam in Kenayannur Taluk;

2. The area within the revenue village of Chemmanad in Kannathumad Taluk;

3. Portion of revenue village of Elamkulam (not covered by the area known as Thevara) and portion of Nadamel Village including the place known as Thrippunithura which is already implemented in Kanayannur Taluk in the Ernakulam District.

[No. F. S.38013(19)/71-HI.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1972

का० आ० 254(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34)की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 14 मई, 1972 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और 5 और 6 [धारा 76 की धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगी, अर्थात्

1. कानायान्नुर तालुक में इडाप्पाल्ली उत्तर, इडाप्पाल्ली दक्षिण, पूनीथुरा, और थिरुवानकुलम के राजस्व गांव की सीमा के भीतर का क्षेत्र ;

2. कुन्नाथुनाड तालुक में चेम्मानाड के राजस्व गांव की सीमा के भीतर का क्षेत्र ;

3. इलायकुलम के राजस्व गांव का भाग (थेवारा नामक क्षेत्र के अन्तर्गत आया हुआ) और नावामल गांव का भाग, जिस में थिप्पुनिथुरा नामक वह स्थान सम्मिलित है, जो एरनाकुलम जिले में कनायान्नुर तालुक में क्रियान्वित होता है ।

[सं० फा० एस-38013(19)/71-एच० आई०]

डी० एस० निम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972